संविधान का भाग - 18,

- अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबन्धों के बारे में है । Part - 18 of the Constitution, from Articles 352 to 360 deals with emergency provisions.
- भाग - 18, जर्मनी के संविधान से प्रेरित (Inspired) है । Part – 18 is inspired by the Constitution of Germany.

भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपात की परिकल्पना की गई है। यथा Three types of emergencies have been envisaged in the Indian Constitution. As

(i) युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात अथवा राष्ट्रीय आपात, (अनु. 352) Emergency arising out of war, external aggression or armed rebellion or a national emergency, (Art. 352)

(ii) राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात, अथवा राष्ट्रपति शासन (अनु. 356) Emergency arising out of failure of constitutional machinery in the States, or President's Rule (Art. 356)

(ii) वित्तीय आपात (अनु. 360) I Financial emergency (Art. 360).

राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा

(Proclamation of National Emergency)

राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनु. - 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब कभी राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि कोई ऐसा गम्भीर आपात विद्यमान है जिसमें, युद्ध (war) या बाह्य आक्रमण (External aggression) या सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion) के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह सम्पूर्ण भारत या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा (Proclamation) कर सकता है।

The proclamation of national emergency is done by the President under Article- 352. Whenever the President is satisfied that a grave emergency exists in which the security of India or any part of it is in danger due to war or external aggression or armed rebellion, he can proclaim a national emergency in respect of the whole of India or any part of it.

राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency)

→ घोषणा → राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन मंत्रिमण्डल की लिखित अनुमति के बाद (44 CA 1978)
→ cabinet written → इस शब्द को जोड़ा गया।

→ आधार (Grounds) → युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह (44 CA 1978)
→ की जगह पहले आंतरिक अशांति शब्द था। → हटाया गया 44 CA 1978

→ अब तक कितनी बार - 3 times

(1) 1962 → चीन का आक्रमण ⇒ राष्ट्रपति - डा० एस० राधाकृष्णन
PM ⇒ पं० जवाहर लाल नेहरू

(2) 1971 → पाक० का आक्रमण ⇒ राष्ट्रपति → वी० वी० गिरि

(3) 1975 ⇒ आंतरिक अशांति PM ⇒ इंदिरा गांधी
Internal Disturbance → राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद
PM ⇒ इंदिरा गांधी।

⇒ 1978 ⇒ PM ⇒ मोरारजी देसाई

↳ 44 वां संविधान संशोधन 1978

अनुमोदन (Approval) → LS और RS का ✓

↳ घोषणा के दिन से एक माह के अंदर - 2 (within 1 Month)

↳ अनुमोदन (Approval) ⇒ विशेष बहुमत (Special Majority) 2/3 Majority

↳ 1 बार अनुमोदन से - 6 माह तक लागू

↳ अधिकतम अवधि (Maximum Duration) ⇒ असीमित समय तक।

प्रभाव (Effect)

(1) शक्तियों का केंद्रीयकरण (Centralization of Powers)

राज्य सूची (State List) ⇒ राज्य सरकार (State Govt) कानून बनाती है।

⇓

लेकिन आपातकाल के समय इस सूची पर कानून केंद्र सरकार (संसद) बनाती है।

(2) लोकसभा / विधानसभा (Legislative Assembly) के कार्यकाल को संसद द्वारा 1 बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ⇒ पांचवी LS के कार्यकाल को दो बार बढ़ाया गया।

(3) Art. 358 ⇒ कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध (war) / बाह्य आक्रमण (External Aggression) के आधार पर लगता है तो Art. 19, स्वयं निलंबित (Suspend) हो जाता है।

(५) Art. 359 ⇒ राष्ट्रपति आपातकाल के समय (Art. २०, २१ को छोड़कर) जिन मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) को निलंबित (Suspend) करना चाहते उन्हें निलंबित कर सकते हैं।

⇒ वापस ⇒ राष्ट्रपति

राष्ट्रपति शासन (Presidential Rule) ⇒ Art. 356 → राज्यों में

↳ घोषणा ⇒ राष्ट्रपति, लेकिन मंत्रिमण्डल की अनुमति के बाद
Declared by the President but After Approval of Cabinet

↳ आधार (Ground) ⇒ राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल (failed the constitutional Machinery in states)

⇒ राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, इसकी सूचना (Information) राज्यपाल (Governor) रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को देते हैं।

⇒ राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार उस राज्य में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं।

अनुमोदन (Approval) ⇒ LS और RS का

- ↳ घोषणा के दिन से 2 माह के अंदर - 2 (within 2 Month's)
- ↳ अनुमोदन साधारण बहुमत (Simple Majority) से।
- ↳ 1 बार अनुमोदन से - 6 माह तक लागू (execute)
- ↳ Maximum Duration ⇒ 3 year's
  अधिकतम समयावधि

पहली बार → पंजाब

सबसे ज्यादा बार

→ U.P. → 10

→ मणिपुर → 10

⟹ Effect (प्रभाव)

→ शक्तियों का केंद्रीयकरण (Centralization of Powers)

वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) ⟹ Art. 360 ⟹ भारत में आज तक नहीं लगी।

- घोषणा ⟹ राष्ट्रपति, लेकिन मंत्रिमण्डल की अनुमति के बाद
- आधार (Ground) ⟹ वित्तीय अस्थिरता (Financial Unstability)

⟹ अनुमोदन (Approval) LS और RS

- ⟹ घोषणा के दिन 2 माह के अंदर - 2
- साधारण बहुमत (Simple Majority)
- 1 बार अनुमोदन से असीमित समय तक लागू।

effect (प्रभाव) ⇒ केंद्र सरकार (Central Govt.)
⇒ राज्य सरकार (State Govt.) > employees/कर्मचारी
⇓
सभी के वेतन में कमी।

⇒ उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों
(Judges of Supreme and High Court) ⇒ वेतन में कमी।

वापस ⇒ राष्ट्रपति

उद्घोषणा का अनुमोदन
(Approval of Proclamation)

- यदि दोनों सदन उद्घोषणा को एक माह के भीतर अनुमोदित नहीं करते हैं, तो उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाती है । किन्तु यदि उद्घोषणा उस समय की जाती है, If both the Houses do not approve the proclamation within a month, the proclamation automatically expires. But if the proclamation is made at that time,

- उद्घोषणा के अनुमोदन का संकल्प, प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई (2/3) बहुमत से पारित किया जाता है I) इसे विशेष बहुमत भी कहा जाता है। The resolution approving the proclamation is passed by each House by a majority of its total membership and a two-thirds (2/3) majority of the members present and voting. This is also called special majority.

उद्घोषणा की अवधि

(Period of Proclamation)

- एक बार अनुमोदित हो जाने पर आपात की उद्घोषणा 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है Once approved, the proclamation of emergency remains in operation for 6 months

- उसे 6-माह से आगे जारी रखने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पुनः अनुमोदन आवश्यक है Re-approval by both houses of Parliament is required for continuation beyond 6 months

उद्घोषणा की वापसी

(Revocation of Proclamation)

- वापस लेने वाली उद्घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक नहीं है। The recalling proclamation does not require approval by Parliament.

उद्घोषणा का प्रभाव
(Effect of Proclamation)

- संसद की विधायी शक्ति का विस्तार हो जाता है। वह राज्यसूची (State List) के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। The legislative power of the Parliament expands. It can make laws on any subject in the State List.

- संसद द्वारा बनाई गयी विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह बाद समाप्त हो जाती है A law made by the Parliament expires after six months when the proclamation is no longer in operation

- अनु. 358 के अनुसार जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो अनु. 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार (Rights of Freedom) स्वतः निलम्बित हो जाता है । According to Article 358, when a proclamation of emergency based on war or external aggression is in operation, the Right to Freedom guaranteed by Article 19 is automatically suspended.

- अनु. 359 के तहत राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के प्रवर्तित (Enforce) कराने के अधिकार को निलम्बित करने की शक्ति दी गई है।
- Under Article 359, the President has been given the power to suspend the right to enforce the fundamental rights.

- संसद को यह न अधिकार होता है कि वह एक बार में एक वर्ष के लिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा दे, Parliament has the power to extend the term of the Lok Sabha for one year at a time,

राज्यों में राष्ट्रपति शासन
(President Rule in the State)

- राज्यों में संवैधानिक तंत्र (Consitutional Machinery) विफल हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा अनु. 356 के तहत जारी की जाने वाली उद्घोषणा को आम बोल-चाल की भाषा में 'राष्ट्रपति शासन कहा जाता है When the constitutional machinery fails in the states, the proclamation issued by the President under Article 356 is commonly known as 'President's rule'.

- यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन (Report) मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है।

If the President, on receipt of a report from the Governor of a State or otherwise, is satisfied that the governance of that State cannot be carried on according to the constitutional provisions, he can proclaim President's rule in that State.

उद्घोषणा का अनुमोदन

(Approval of Proclamation)

- प्रत्येक सदन द्वारा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत (साधारण बहुमत) से दो माह के भीतर पारित करना होता है* अन्यथा वह स्वतः समाप्त हो जाती है। It has to be passed by each House by a majority (simple majority) of the members present and voting within two months* otherwise it lapses automatically.

उद्घोषणा की अवधि

(Period of Proclamation)

- यदि संसद के दोनों सदन इसे साधारण बहुमत से दो माह के भीतर अनुमोदित कर देते हैं तो ऐसी उद्घोषणा 'जारी किये जाने की तिथि से 6 माह तक' प्रवर्तन में रहती है। If both Houses of Parliament approve it by a simple majority within two months, such a proclamation remains in operation for 'six months from the date of its issue'.

- संसद के पुनः अनुमोदन से उद्घोषणा की अवधि 6-6 माह बढ़ायी जा सकती है, किन्तु उसे किसी भी दशा में 3 वर्ष से अधिक अवधि तक प्रवर्तन में नहीं रखा जा सकता है। With the re-approval of the Parliament, the period of the proclamation can be extended by 6-6 months, but in no case it can be kept in operation for a period more than 3 years.

उद्घोषणा का प्रभाव
(Effect of Proclamation)

- राज्य विधानमण्डल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जायेंगी । The powers of the State Legislature shall be exercised by or under the authority of Parliament.

वित्तीय आपात (Financial emergency)

- संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत 'वित्तीय आपात' के नहीं बारे में प्रावधान किया गया है । Provision for 'financial emergency' has been made under Article 360 of the Constitution.

- यह राष्ट्रपति वित्तीय आपात की कर्भ उद्घोषणा कर सकता है, यदि उसको यह समाधान हो जाय कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व अथवा साख (Financial शक्ति or Credit) संकट में है । The President can declare a financial emergency if he is satisfied that a situation has arisen which endangers the financial stability or credit of India or any part of its territory.

उद्घोषणा की अवधि (Period of Proclamation)

- यदि संसद साधारण बहुमत से दो माह के पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदित कर देती है तो वह अनिश्चित काल तक प्रवर्तन में बनी रहेगी। If the Parliament approves the proclamation with a simple majority two months before, it will remain in force indefinitely.

उद्घोषणा का प्रभाव (Effect of Proclamation)

- किसी राज्य के अधीन सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कमी की जा सकती है। The salaries and allowances of all or any class of persons serving under a State may be reduced.

- संघ के अधीन सेवा करने वाले किसी या सभी व्यक्तियों (जिसके अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी है।) के वेतन एवं भत्तों में कमी की जा सकती है । The salaries and allowances of any or all persons serving under the Union (including Judges of the Supreme Court and of the High Courts) may be reduced.

भारत का उपराष्ट्रपति (The Vice-President of India)

पदानुक्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति (Vice President) का दूसरा स्थान है । The Vice President is second in the hierarchy after the President.

उपराष्ट्रपति ⇒ IInd Highest Post of India
भारत का दूसरा सर्वोच्च पद ।

अनुच्छेद- 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा । उपराष्ट्रपति राज्यसभा का ' पदेन सभापति' (Ex-office Chairman) होता है According to Article 63, there will be a Vice President of India. The Vice President is the 'ex-officio Chairman' of the Rajya Sabha → Art. 64)

Art. 63 ⇒ भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा ।

Art. 64 ⇒ उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा ।

उपराष्ट्रपति ⇒ पद

- उपराष्ट्रपति के नाम से कोई काम नहीं।
- मुख्य कार्य (Main function) ⇒ राज्यसभा के पदेन सभापति ✓
  ex-officio Chairman of RS → Art.64
- जब राष्ट्रपति का पद रिक्त (vacant) ⇒ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य ⇒ Art.65
  Acting President

1st vice-President
प्रथम उपराष्ट्रपति → डॉ० एस० राधाकृष्णन
→ वर्तमान ⇒ जगदीप धनखड़

=) उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है।

- भारत में उपराष्ट्रपति के पद सम्बन्धी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। The provisions regarding the post of Vice President in India have been taken from the Constitution of America.

उपराष्ट्रपति की योग्यतायें
(Qualification of The Vice President)

अनु. 66 (3) उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित (योग्यतायें होनी चाहिए।) यथा- Article 66 (3) A person should have the following qualifications for the post of Vice-President, namely:

Qualification (योग्यतायें) => Art. 66(3)
- → भारत का नागरिक
- → लाभ के पद पर न हो
- → न्यूनतम आयु → 35 वर्ष

⇒ राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है।

⇒ पागल न हो

→ दिवालिया न हो

→ संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो (Art. 66(2))

MP ✗
MLA ✗
MLC ✗

> लेकिन अगर है तो पद ग्रहण के दिन से उस सदन, जिसका वह सदस्य है पद रिक्त माना जायेगा।

(i) वह भारत का नागरिक हो । He should be a citizen of India.

(ii) वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, He must have completed 35 years of age,

(iii) राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो । Must be eligible to be elected as a member of the Rajya Sabha.

→ Do not unsound mind
→ Do not Insolvent
→ Do not Hold office the Profit.

अनु. 66 (2) - उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंण्डल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा Article 66 (2) - The Vice-President shall not be a member of either House of Parliament or of either House of the Legislature of a State.

उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और उतने ही

The name of a candidate for the office of Vice-President shall be proposed by at least 20 voters and ~~rejected~~ Accepted by as many as ~~100~~ 20 voters.

प्रस्तावक (Proposers) => 20

अनुमोदक (seconders) => 20

- मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए
- रु. 15000 की जमानत राशि जमा की जानी चाहिए।

Must be approved by voters

Security amount of Rs.15000 must be deposited.

जमानत राशि (Security Amount) ⇒ 15000 ₹ (A, B, C, D)

↳ Deposit (जमा) ⇒ RBI

⇒ जब किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों (total valid votes) का 1/6 मत प्राप्त नहीं होता तो RBI इसे जब्त (seized) कर लेती है।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

(Election of Vice President)

अनु. 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों

According to Article 66(1), the Vice-President is elected by all the members of both the Houses of Parliament.

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी 'अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली' द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है ।

The election of the Vice President also takes place through the 'single transferable vote system according to the proportional representation system' and voting in such an election is secret.

उपराष्ट्रपति की पदावधि

(Term of Office of Vice President)

- संविधान के अनच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, According to Article 67 of the Constitution, the term of the Vice President is 5 years.
- राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है ।• Can submit resignation to the President.

यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उसे पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा; If the Rajya Sabha passes a resolution to remove him from office by a majority of all its then members and the Lok Sabha accepts it, the Vice President will have to resign;

उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना कम से कम चौदह दिन (14) पूर्व न दे दी गई हो । The Vice President has been informed at least fourteen (14) days in advance.

- उसकी मृत्यु, पदत्याग या पदच्युति के कारण हुई पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र (As Soon As) कराया जायेगा।

  The election to fill the vacancy caused by his death, resignation or removal shall be held as soon as possible.

- नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष तक अपना पद धारण करेगा। The new Vice President will hold office for a term of five years from the date on which he assumes office.

संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । There is no provision in the Constitution for appointing an acting Vice President.

उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है । वह इस पद पर अनेक बार निर्वाचित किया जा सकता है। The Vice President is eligible for re-election. He can be elected to this post multiple times.

उपराष्ट्रपति अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर लें। The Vice-President continues in office even after completing his five-year term until his successor assumes office.

शपथ या प्रतिज्ञान (Oath or Affirmation)

अनुच्छेद 69,

Article 69,

वेतन एवं भत्ते (The Salary and Allowances)

अनु. 97 के तहत देय राज्य सभा के सभापति का वेतन दिया जाता है। उसे अपने पद का वेतन नहीं दिया जाता है।

The salary of the Chairman of Rajya Sabha is paid under Article 97. He is not paid the salary of his post.

यह वेतन भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित होता है।

This salary is charged on the Consolidated Fund of India.

जब उपराष्ट्रपति अनु. 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्य सभा सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। When the Vice President acts as Acting President under Article 65, he does not function as the Chairman of the Rajya Sabha.